राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 716/2009/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, सर्किल–'बी' भिवाड़ी, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बी.एल.एस. एथानोल लिमिटेड,
ई–43 सी, औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा भिवाड़ी. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 220/उपा–अल/आएसटी/07–08/09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.02.2009 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें **सहायक** वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत–बी, भिवाड़ी (अलवर) (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 61,179/– को अपास्त किया गया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित समस्त वांछित दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण केवल इस आधार पर किया गया है कि बिल में सी.एस.टी. 0.75 प्रतिशत के स्थान पर 0.50 प्रतिशत की दर से ली गयी है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा किसी दस्तावेज को ना तो मिथ्या प्रमाणित किया गया है एवं ना ही अन्य कोई त्रुटि दस्तावेजों में होना बताया गया है। इस प्रकार कर दर के विवाद के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि कर दर के विवाद से धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नहीं होता है एवं कर दर से सम्बन्धित विवाद का

लगातार.....2

क्षेत्राधिकार नियमित कर निर्धारण अधिकारी का है। यह भी उल्लेखनीय है कि सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नया बिल जारी कर दिया गया, जिसमें कर दर की त्रुटि को भी संशोधित कर दिया गया था। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं धारा 76(2) के किसी उल्लंघन के बिना ही वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

4. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश दिनांक 16.02.2009 की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

1/11/2012

(के. एल. जैन)
सदस्य